नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट
पो०– नेतरहाट, जिला – लातेहार

(An Autonomous Institute under Societies Reg. Act 1860, Ministry of HRD, Govt. of Jharkhand)

संख्या – 1177 दिनांक – 12.07.2014

निविदा सूचना

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के लगभग 500 विद्यार्थियों एवं अन्य उपयोग में लाये जाने वाले खाद्य सामग्रियों एवं विविध सामग्रियों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदायें प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय , नेतरहाट के नाम आमंत्रित की जाती है।

1. मुहरबंद निविदाएं हाथों हाथ , साधरण डाक, पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 09.08.2014 को 12.30 बजे अपराहन तक प्राचार्य कार्यालय में स्वीकार की जाएगी ।निविदाऐ तीन भागों में विभाजीत होगी एवं प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग लिफाफा होगा। तीनों लिफाफे अंततः एक बड़ें लिफाफे मे मुहरबंद होगा जिसमें पते के रूप मे प्राचार्य का नाम लिखा होगा।

क) टेक्नीकल बीड में लगने वाले कागजात निविदा शर्त के कंडिका (1)में उल्लेखित है ।

ख) फिनांसियल बीड– फिनांसियल बीड एक अलग लिफाफे में सील होगा ।बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार दर अंकित कर एक अलग लिफाफे में सील करना आवश्यक होगा ।

ग) अग्रधन – अग्रधन की राशि बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुरूप होगी ।जिसे अलग–अलग लिफाफे में देना होगा ।

2. **अग्रधन एवं निविदा शुल्क :–**
निविदा शुल्क – सार्थ के द्वारा निविदा शुल्क के रूप में प्रत्येक बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए रूपया 500/–राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्राफ्ट अथवा नगद प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम देय होगा जो किसी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा ।
अग्रधन – अग्रधन के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक डिमांड ड्राफ्ट प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम देय होगा। ड्राफ्ट भुगतान नहीं होने पर अंतिम निविदा के समय तुरंत वापस कर दिया जायेगा । अग्रधन की राशि प्रत्येक बिल ऑफ क्वांटिटी मे लिखी हुई प्राप्त होगी ।
3. निविदा प्रसारित करने की तिथि 12.7.2014 है,जो विद्यालय वेबसाईट www. netarhatvidyalaya.com में उपलब्ध है । निविदा हाथों हाथ ,साधारण डाक, निबंधित डाक एवं स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक 09.08.2014 के अपराहन 12.30 बजे तक ली जाएगी । उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समुख दिनांक 12.08.14 को खोली जाएगी । निविदाओं (टेक्नीकल बीड)को टेक्नीकल बीड में सफल पाये गए आपूर्तिकर्ताओं के ही फिनांसियल बीड खोले जाएगे ।
4. यह निविदा माह सितम्बर 2014 से अगस्त 2015 तक वैध रहेगी।
5 निविदा संबंधित जानकारी निम्न पदाधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है :–

प्राचार्य– प्रो. बी.एस. मल्लिक
फोन नं. – 06569–277644

प्रशासनिक पदाधिकारी– श्री सुहर्ष कुमार
फोन नं. – 06569–277009

(प्रो०बिमलाँशु शेखर मल्लिक)
प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट

नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट

निविदा शर्त

1. टेक्नीकल बिड में लगने वाले दस्तावेज निम्न होगे।
क. सार्थ/कंपनी/आपूर्तिकर्त्ता का पूरा नाम एवं पता
ख. रजिस्ट्रेषन का प्रमाण पत्र
ग. वैट में निबंधन प्रमाण पत्र
घ. बिक्री कर निबंधन प्रमाण पत्र
ड़. आयकर प्रमाण पत्र
च. बिक्री कर एवं आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र । स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अद्यतन प्रमाण पत्र अथवा राशि जमा की जाने का प्रमाण आवश्यक होगा।
छ. अग्रधन की राशि राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के नाम देय होगी। (बिल ऑफ क्वांटिटी के अनुसार)
ज. टीन/टैन/पैन कार्ड की छाया प्रति
झ. अनुभव प्रमाण पत्र (अगर हो तो)
ट. क्रयादेश की छाया प्रति (अगर हो तो)

2. निविदा के लिफाफे पर सार्थ का नाम एवं पता, निविदा संख्या एवं दिनांक, निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं जिन सामग्रियों हेतु निविदा दी गई हो अंकित होना आवश्यक होगा।
3. सार्थ यदि आदेशित सामग्री क्रयादेष में निर्धारित तिथि, समय एवं राषि पर आपूर्ति नहीं करते हैं तो विद्यालय द्वारा एक अनुस्मार दिया जाएगा । आपूर्ति फिर भी न करने पर विद्यालय द्वारा निम्न कदम उठाये जा सकते हैं :–
   (i) आदेशित सामग्रियों का क्रय विद्यालय द्वारा खुले बाजार से कर लिया जायेगा एवं मूल्य की मान्यता होगी। सार्थ द्वारा उठायी गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा।
   (ii) आदेशित राशि सार्थ के दूसरे विपत्र से काट ली जायेगी।
   (iii) ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
   (iv) संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए विद्यालय की निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
   (v) अग्रधन/जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
   (vi) ठेका रद्द करने के उपरान्त निविदा में सफल दूसरे सार्थ को ठेका देने पर विचार किया जायगा।
4. निविदा खुलने वाली तिथि में सार्थों को नमूनों के साथ आना होगा।सफल सार्थो को आदेषोंपरान्त आपूर्ति के वक्त,मिलान के समय नमूनों को लाना आवष्यक होगा । नमूनों को मिलान आपूर्ति की गई सामग्रियों से किया जाएगा । मिलान के वक्त क्रय समिति की स्वीकृति के पष्चात ही सामग्रियॉं स्वीकार की जाएगी ।
5. बिल ऑफ क्वांटिटी में लिखित बान्ड/क्वालिटी के अनुसार ही सामग्रियों का दर एवं आपूर्तियॉं मान्य होगें ।
6. सामग्रियों का दर अंकित मूल्य/एम.आर.पी से ज्यादा मान्य नही होगा ।अंकित मूल्य/एम.आर.पी भी हस्तलिखित न हो एवं कम्पनी द्वारा लिखित हो । दरों के अंकन में किसी भी प्रकार के संदेह होने पर सम्बंधित आपूर्तिकर्ता पर प्रतिकूल कार्रवाई की जाएगी ।
7. आपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा कुछ भी समय दिया जा सकता है ,जिसे सफल आपूर्तिकर्ता को मान्य होगा ।आदेषित समयावधि में आपूर्ति आवष्यक होगी ।
8. प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम भुगतान योग्य राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट अग्रधन राषि के रूप में जमा करेंगे।
9. बिल ऑफ क्वांटिटी में उल्लेखित राषि अग्रधन रूप में निविदा के साथ जमा करना होगा ।
10. सरकारी प्रतिष्ठानो को अग्रधन की राषि जमा करने की आवष्यकता नही होगी ।
11. सभी सामग्रियों की आपूर्ति का एफ.ओ .आर नेतरहाट आवासीय विद्यालय होगा ।
12. निविदा में उल्लेखित सामान की मात्रा एवं अवधि घटायी बढायी जा सकती है । यह आवष्यक नही की सबसे कम दर वाली निविदा ही स्वीकार की जाय। यदि कम दर वाली निविदा स्वीकार नही की जाती है तो इसका कारण देना आवयष्क नहीं होगा । चयनित सामग्री में अंकित मूल्य पर वार्ता (निगोसियेषन)किया जा सकता है ।
13. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत नमूने/ब्रान्ड के अनुसार ही ली जाएगी।ब्रान्ड स्पष्ट न करने पर नमूना के बिना रेट पर विचार नही होगा ।
14. प्रत्येक निविदा में प्रत्येक सामग्रियों का दर अंक एवं शब्दों में देना आवष्यक है ।
15. दाम के साथ संबंधित कम्पनी/मेक का भी उल्लेख रहना आवष्यक है ।
16. विलम्ब से प्राप्त निविदा या अग्रधन के बिना निविदा स्वीकार नही किया जाएगा ।
17. निविना जमा करने के उपरान्त आंषिक या पूर्णरूप से निविदा वापस लेने पर जमानत की राषि जब्त कर ली जाएगी ।
18. श्रोतों पर ही आयकर एवं बिक्रीकर की राषि की कटौती की जाएगी ।
19. दिये गए आदेष से अधिक मात्रा की आपूर्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार नही की जाएगी ।
20. प्राचार्य का निर्णय अंतिम रूप में मान्य होगा ।

(प्रो०बिमलॉंशु शेखर मल्लिक)
प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट